रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-34/2019/1372/22-2-2019-17(09)/2002-टी0सी0

लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-7725/2018 शिवराज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2018 के अनुपालन में केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धनराज (बन्दी संख्या-15026) पुत्र श्री भारत सिंह, निवासी-अलीपुर, थाना-बेवर, जनपद-मैनपुरी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-496/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 28.01.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.08.2001 द्वारा यथावत रखा गया, की मेडिकल बोर्ड एवं दयायाचिका समिति की संस्तुति के आधार पर एवं बन्दी की आयु 73 वर्ष होने, 15 वर्ष से अधिक अपरिहार सजा, 21 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा काटने तथा संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह

विशेष सचिव।

संख्या-34/2019/1372/22-2-2019 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

3- पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in